

28-9-22

पत्रावली पेश हुई उभय पक्ष उपस्थित प्रकरण में वकील प्राधी द्वारा संशोधित अनवान पेश किया प्रकरण में विधिस. 1 की ओर से जवाब प्रा.पत्र पेश नहीं करने पर जवाब प्रा.पत्र पेश करने का अवसर बन्द किया जाता है। प्रकरण में वकील प्राधी द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र पर बहस करने का निवेदन किया जिसे न्यायालय ने स्वीकार किया जाने पर प्रा.पत्र अ.धा. 212 R.T.A पर एक पक्षीय बहस सुनी गई पत्रावली वास्तु आदेश में दिनांक 29.9.22 को पेश हो।

29.9.22

पत्रावली पेश हुई वकील प्राधी उपस्थित प्रकरण में प्राधी का प्रा.पत्र अ.धा. 212 R.T.A का स्वीकार किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

